समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक– 1314 /रा0 दिनांक– 09/10/2020

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
चतरा।

सेवा में,

उपमहाप्रबंधक,
संचरण अंचल,
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड,
हजारीबाग।

विषयः– **चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज अंचल के ग्राम बोड़ा में 132/33 KV ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण कार्य अंतर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र का प्रेषण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज अंचल के ग्राम बोड़ा में 132/33 KV ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण कार्य अंतर्गत निम्नांकित भूमि का क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है:–

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुन्दा	कुजरम	155	01	05	20.00	गैरमजरुआखास जंगल
					कुल–	20.00	

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

09.10.2020
अपर समाहर्त्ता,
चतरा।

समाहरणालय, चतरा।
(राजस्व शाखा)

सं0 1312 दिनांक 08.10.2020

प्रमाण–पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–5/स0भू0 लातेहार–1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक–30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागो/ कम्पनियों/ प्रतिष्ठानो/ उद्यमो/ ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाडी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला–चतरा, अंचल–कुन्दा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है:–

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुन्दा	कुजरम	155	01	05	20.00	गैरमजरुआखास जंगल
					कुल–	20.00	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन् भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, **वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को हंटरगंज अंचल के ग्राम बोडा में 132/33 KV ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण कार्य अंतर्गत क्षतिपूरक वनरोपण** के लिए भूमि अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
3. गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(हस्ताक्षर) 8/10

उपायुक्त
चतरा।